FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर SDO मुकाम बायतु

ईशराराम कौरा बनाम खेमाराम कौरा

किस्म मुकदमा 88,188 RT act नं. 10/2020 सन

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.2020	~~प्रार्थी~~/वादी/~~अपीलांट~~ के वकील श्री नरपत पुरी ने यह ~~प्रार्थना-पत्र~~/वाद/~~अपील~~ धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी/~~भू-राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/प्रतिवादी/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04.02.2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
04/02/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 श्री कौर के वकील श्री खेतराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया। व वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-2 pw-1 श्री सागाराम पुत्र श्री खेमाराम जाति-मेघवाल निवासी-बेरड़ो की ढाणी (बायतु भोपजी) तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर, pw-2- गोकलराम पुत्र श्री कोजाराम जाति-जाट निवासी-हिरोणी धतरवालों की ढाणी (बायतु भोपजी) pw-3- जालाराम पुत्र श्री धमण्डाराम जाति-मेघवाल निवासी-हिरोणी धतरवालों की ढाणी (बायतु भोपजी) तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1- खेमाराम पुत्र श्री धाराराम जाति-मेघवाल निवासी-बेरड़ो की ढाणी (बायतु भोपजी) तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हेतु बहस पत्रावली दिनांक 03/0[illegible] [illegible] विवेक व्यास सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	द्वि. खेमाराम सागाराम जालाराम गोकलराम दि. [illegible] (नरपत पुरी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2020.12.26 18:47:55
Reason: SelfAttested

03/03/2020

वकलान फरीकैन उपस्थित। दोनो पक्षो के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व देखी गई तथा प्रति-वादी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाबदावा का अवलोकन करने के बाद वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर (SDO)
ब्यावर
3.3.2020

सेवामें,

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:47:55 IST
Reason: SelfAttested

़ायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 10/2020

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण:

1. ईशराराम पुत्र खेमाराम
2. सागरराम पुत्र खेमाराम
3. धनाराम पुत्र खेमाराम
4. किशनाराम पुत्र खेमाराम
   जातियान्–मेघवाल,
   निवासीयान्–बेरडों की ढाणी (बायतु भोपजी) तहसील–बायतु,
   जिला–बाडमेर

प्रतिवादीगण:

1. खेमाराम पुत्र धाराराम
   जाति–तेघवाल, निवासी– वेरड़ों की ढाणी(बायतु भोपजी),
   तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
2. श्रीमान तहसीलदार बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री नरपत पूनड़ वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– **दिनांक** : 03.03.2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 819/651 रकबा 9.1255 हेक्टेयर, मौजा पुरखोणी धतरवालों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 586 रकबा 0.0566 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 877/587 रकबा 7.1192 हेक्टेयर, खसरा 878/587 रकबा 3. 4706 हेक्टेयर मौजा हीरोणी धतरवालों की ढ़ाणी पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 763/494 रकबा 0.6472 हेक्टेयर मौजा रामसरिया पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 604/479 रकबा 3.6648 हेक्टेयर आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज धाराराम के वंशज है तथा प्रतिवादी वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाडा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या [illegible] थ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:47:55 IST
Reason: SelfAttested

3.3.2020

को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा ...दी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की ...र्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण धाराराम के विधिक वारिसान है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 819/651 रकबा 9.1255 हेक्टेयर, मौजा पुरखोणी धतरवालों की ढ़ाणी पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 586 रकबा 0.0566 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 877/587 रकबा 7.1192 हेक्टेयर, खसरा 878/587 रकबा 3.4706 हेक्टेयर मौजा हीरोणी धतरवालों की ढ़ाणी पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 763/494 रकबा 0.6472 हेक्टेयर मौजा रामसरिया पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 604/479 रकबा 3.6648 हेक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.3.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:47:55 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. ईशराराम पुत्र खेमाराम
2. सागरराम पुत्र खेमाराम
3. धनाराम पुत्र खेमाराम
4. किशनाराम पुत्र खेमाराम
   जातियान्–मेघवाल,
   निवासीयान्–बेरड़ों की ढाणी (बायतु भोपजी) तहसील–बायतु,
   जिला–बाड़मेर

प्रतिवादीगण:

1. खेमाराम पुत्र धाराराम
   जाति–तेघवाल, निवासी– बेरड़ों की ढाणी(बायतु भोपजी),
   तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
2. श्रीमान तहसीलदार बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक :– 03·03·2020

राजस्व वाद संख्या–10 / 2020.

वादी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03·03·2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 819 / 651 रकबा 9.1255 हेक्टेयर, मौजा पुरखोणी धतरवालों की ढ़ाणी पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 586 रकबा 0.0566 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 877 / 587 रकबा 7.1192 हेक्टेयर, खसरा 878 / 587 रकबा 3.4706 हेक्टेयर मौजा हीरोणी धतरवालों की ढ़ाणी पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 763 / 494 रकबा 0.6472 हेक्टेयर मौजा रामसरिया पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 604 / 479 रकबा 3.6648 हेक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 03·03·2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

3.3.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:47:55 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. ईशराराम पुत्र खेमाराम
2. सागरराम पुत्र खेमाराम
3. धनाराम पुत्र खेमाराम
4. किशनाराम पुत्र खेमाराम
जातियान्–मेघवाल,
निवासीयान्–बेरड़ों की ढाणी (बायतु भोपजी) तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

1. खेमाराम पुत्र धाराराम
जाति–तेघवाल, निवासी– बेरड़ों की ढाणी(बायतु भोपजी),
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
2. श्रीमान तहसीलदार बायतु

विवेक व्यास
3.3.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:47:55 IST
Reason: SelfAttested